श्यामलाल बनाम फूलसिंह वगै.
फूलसिंह बनाम श्यामलाल वगै.

न्यायालय सहायक कलक्टर, नगर (डीग)

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

(1)

मुकदमा संख्या :– 133/2022 तारीख दायरा:–20.09.2022

1. श्यामलाल पुत्र हण्डू जाति जाट निवासी ग्राम नंगला भौंगरा तहसील नगर जिला डीग।
2. ओमवती पत्नी स्व0 श्री लक्ष्मन
3. महाराज सिंह पुत्र लक्ष्मन
4. रामहंस पुत्र लक्ष्मन
5. बबीता पुत्री लक्ष्मन
6. कवित पुत्री लक्ष्मन

जातियान जाट निवासी ग्राम नंगला भौंगरा तहसील नगर जिला डीग।

–––वादीगण

बनाम

1. फूलसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम नंगला भौंगरा तहसील नगर जिला डीग।
2. तहसीलदार महोदय, तहसील नगर जिला डीग।

–––– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

(2)

मुकदमा संख्या :– 99/2021 तारीख दायरा:–29.07.2021

फूलसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम नंगला भौंगरा तहसील नगर जिला डीग।

–––वादी

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र हन्डू
2. महाराजसिंह पुत्र लक्ष्मन
3. रामहंस उर्फ भुल्लन पुत्र लक्ष्मन
4. मोमवत्ती पत्नी लक्ष्मन

   जातियान जाट निवासी ग्राम नंगला भौंगरा तहसील नगर जिला डीग।
5. श्रीमान तहसीलदार तहसील नगर

–––– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता श्री मेघसिंह भगौर वादीगण
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा प्रतिवादी संख्या 01

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
(डीग) राज0

श्यामलाल बनाम फूलसिंह वगै.
फूलसिंह बनाम श्यामलाल वगै.

निर्णय **दिनांकः–11.08.2025**

उक्त दोनो वादो मे पक्षकार एंव विवादित आराजी एंव चाहा गया अनुतोष एक समान है जिससे दोनो दावो का एक निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनो दावो मे शामिल रहेगी। विवादित आराजी खसरा नं0 160/0.40 वाके ग्राम नगला भौंगरा तहसील नगर उभय पक्षकारान की सयुक्त खातेदारी की भुमि है। जिसके विभाजन के लिए दोनो पक्षो ने पृथक–पृथक वाद प्रस्तुत किये है। पूर्ववर्ती वाद संख्या 99/2021 उनवानी फूलसिंह बनाम श्यामलाल वगै. को पश्चात्वर्ती वाद संख्या 133/2022 उनवानी श्यामलाल बनाम फूलसिंह वगै. के साथ दिनांक 06.01.2023 को समेकित किया जाकर वकील उभय पक्षकारान की सहमती के अनुसार दावा मे प्राथमिक डिकी पारित कर आदेश दिया कि– "वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार तैयार कर प्रस्तुत करें।"

उक्त प्राथमिक डिकी की पालना मे तहसीलदार नगर द्वारा वउनवानी प्रकरण मे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्र कमांक/भू.अ./25/2706 दिनांक 28.07.2025 को न्यायालय हाजा को कुछ इस प्रकार से प्रेषित किये गए।

1. आराजी खसरा नं0 160/1/0.36 किता 01 रकबा 0.36 है0 फूलसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जाट सा. नगंला भौंगरा खातेदार हिस्सा पूर्ण। राहिन पजांब नेशनल बैंक शाखा बेरू हिस्सा 3/5
2. आराजी खसरा नं0 160/2/0.04 किता 01 रकबा 0.04 है0 लक्ष्मन, श्यामलाल पि0 हन्डू बहिस्सा बराबर जाति जाट सा. नगंला भौंगरा खातेदार।

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्श कुछ इस प्रकार से है।

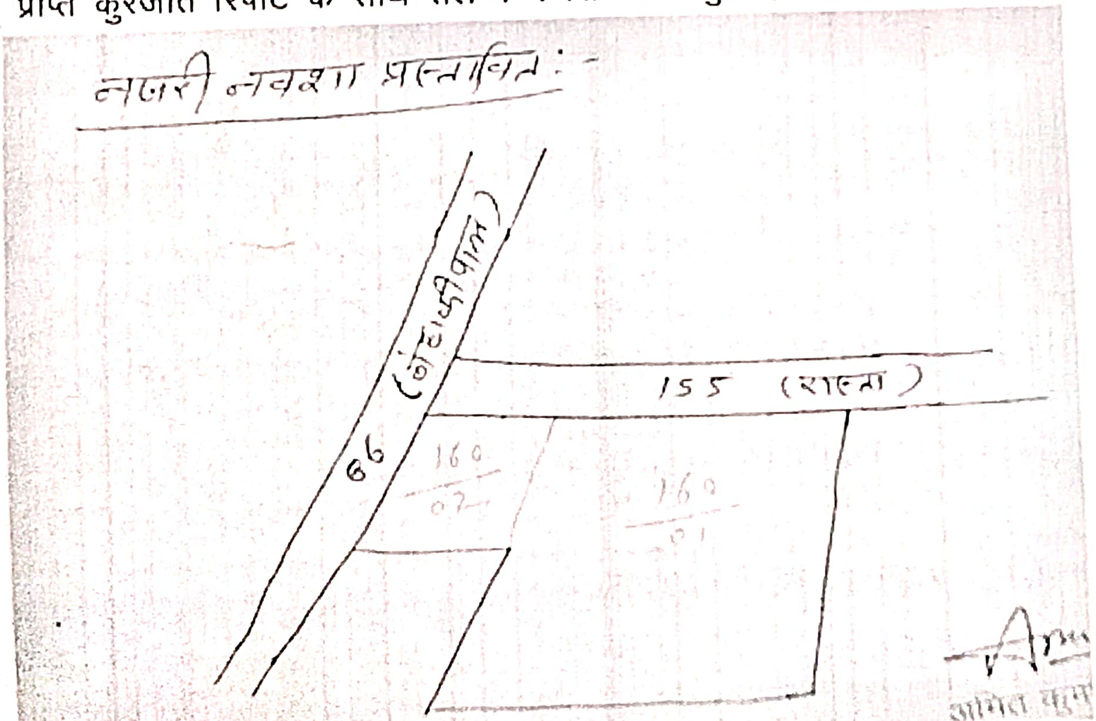

सहायक कलक्टर

श्यामलाल बनाम फूलसिंह वगै.
फूलसिंह बनाम श्यामलाल वगै.

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया।

तहसीलदार नगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.07.2025 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–53 के नियम 18–21 के अन्तर्गत तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थिति बाबत पक्षकारान को सूचित करते हुये उपस्थित पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार किये गये है। अत तहसीलदार नगर द्वारा प्रेषित कुर्रेजात प्रस्ताव नियमों के संदर्भ मे प्रमाणिक व सही प्रतित होती है। जिसके अनुसार वादीगण रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन कराने का अधिकारी है। अत दावा वादीगण अन्तिम डिक्री किये जाने योग्य है।

:आदेश:

अत वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नगर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 28.07.2025 के आधार पर उभय पक्ष के मध्य विवादित आराजी खसरा न0 160/0.40 वाके ग्राम नंगला भौंगरा तहसील नगर को मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी, खाते अलग–अलग बहिस्सा लगान कायम किये जाकर निम्न प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे इंद्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

1. आराजी खसरा नं0 160/1/0.36 किता 01 रकबा 0.36 है0 फूलसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जाट हिस्सा पूर्ण सा. नगंला भौंगरा खातेदार हिस्सा 3/5 राहिन पजांब नेशनल बैंक शाखा वेरू।
2. आराजी खसरा नं0 160/2/0.04 किता 01 रकबा 0.04 है0 भोगवती पत्नी लक्ष्मन, महाराज सिंह, रामहंस पिसरान लक्ष्मन, बबीता, कविता पुत्रीयान लक्ष्मन बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा, श्यामलाल पि0 हन्डू 1/2 हिस्सा जाति जाट सा. नगंला भौंगरा खातेदार।

नक्शे मे तरमीम निम्नानुसार की जावे।

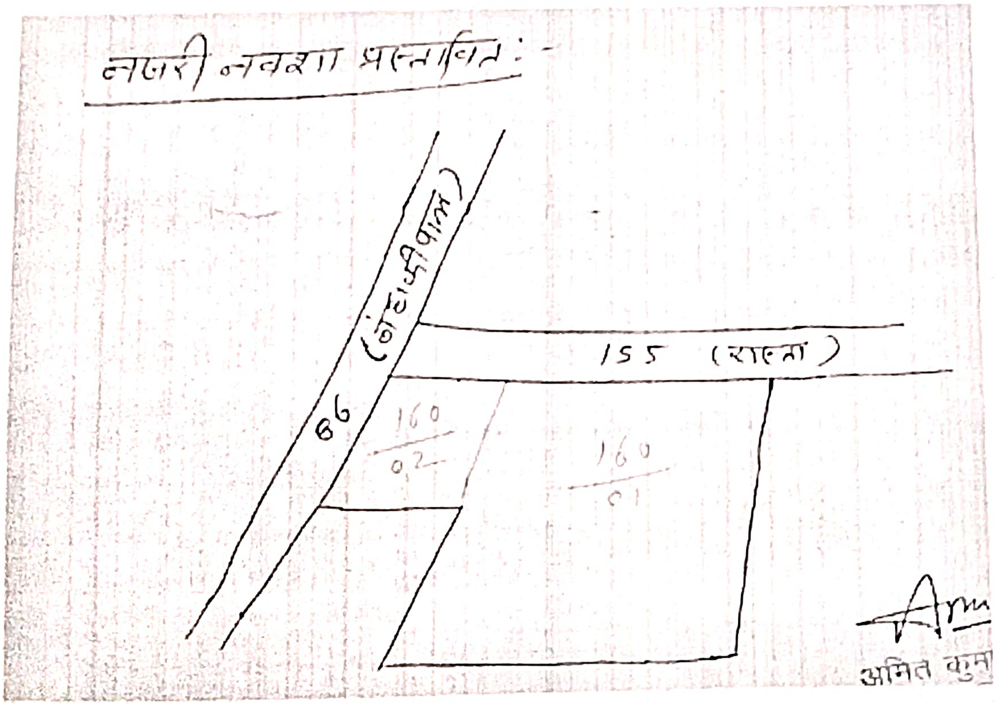

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज0

श्यामलाल बनाम फूलसिंह वगै.
फूलसिंह बनाम श्यामलाल वगै.

प्राप्त कुरेंजात रिपोर्ट पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा कुरेंजात रिपोर्ट का अवलोकन किया।

तहसीलदार नगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.07.2025 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–53 के नियम 18–21 के अन्तर्गत तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थिति बाबत पक्षकारान को सूचित करते हुये उपस्थित पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार किये गये है। अत तहसीलदार नगर द्वारा प्रेषित कुरेंजात प्रस्ताव नियमों के संदर्भ मे प्रमाणिक व सही प्रतित होती है। जिसके अनुसार वादीगण रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन कराने का अधिकारी है। अत दावा वादीगण अन्तिम डिक्री किये जाने योग्य है।

:आदेश:

अत वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नगर से प्राप्त कुरेंजात रिपोर्ट दिनांक 28.07.2025 के आधार पर उभय पक्ष के मध्य विवादित आराजी खसरा न0 160/0.40 वाके ग्राम नंगला भौंगरा तहसील नगर को मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी, खाते अलग–अलग बहिस्सा लगान कायम किये जाकर निम्न प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे इंद्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

1. आराजी खसरा नं0 160/1/0.36 किता 01 रकबा 0.36 है0 फूलसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जाट हिस्सा पूर्ण सा. नगंला भौंगरा खातेदार हिस्सा 3/5 रहिन पजांब नेशनल बैंक शाखा बेरू।
2. आराजी खसरा नं0 160/2/0.04 किता 01 रकबा 0.04 है0 ओमवती पत्नी लक्ष्मन, महाराज सिंह, रामहंस पिसरान लक्ष्मन, बबीता, कविता पुत्रीयान लक्ष्मन बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा, श्यामलाल पि0 हन्डू 1/2 हिस्सा जाति जाट सा. नगंला भौंगरा खातेदार।

नक्शे मे तरमीम निम्नानुसार की जावे।

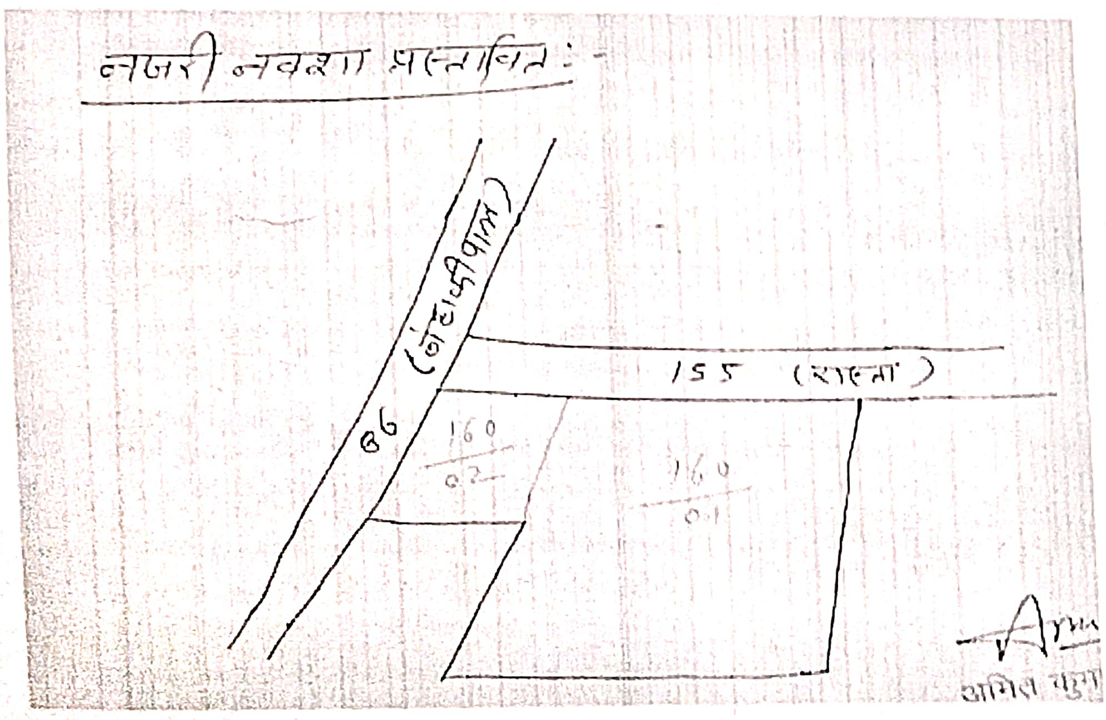

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)

श्यामलाल बनाम फूलसिंह वगै.
फूलसिंह बनाम श्यामलाल वगै.
अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर नगर (डीग)

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

(1)

मुकदमा संख्या :– 133 / 2022 तारीख दायरा:–20.09.2022

1. श्यामलाल पुत्र हण्डू जाति जाट निवासी ग्राम नंगला भौंगरा तहसील नगर जिला डीग।
2. ओमवती पत्नी स्व0 श्री लक्ष्मन
3. महाराज सिंह पुत्र लक्ष्मन
4. रामहंस पुत्र लक्ष्मन
5. बबीता पुत्री लक्ष्मन
6. कविता पुत्री लक्ष्मन

जातियान जाट निवासी ग्राम नंगला भौंगरा तहसील नगर जिला डीग।

–––वादीगण

बनाम

1. फूलसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम नंगला भौंगरा तहसील नगर जिला डीग।
2. तहसीलदार महोदय, तहसील नगर जिला डीग।

–––– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

(2)

मुकदमा संख्या :– 99 / 2021 तारीख दायरा:–29.07.2021

फूलसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम नंगला भौंगरा तहसील नगर जिला डीग।

–––वादी

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र हन्डू
2. महाराजसिंह पुत्र लक्ष्मन
3. रामहंस उर्फ भुल्लन पुत्र लक्ष्मन
4. मोमवत्ती पत्नी लक्ष्मन

   जातियान जाट निवासी ग्राम नंगला भौंगरा तहसील नगर जिला डीग।
5. श्रीमान तहसीलदार तहसील नगर

–––– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी श्री मेघसिंह भगौर अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अभिभाषक मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नगर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 28.07.2025 के आधार पर उभय पक्ष के मध्य विवादित आराजी खसरा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
नगर (डीग) राज0

श्यामलाल बनाम फूलसिंह वगै.
फूलसिंह बनाम श्यामलाल वगै.

नं० 160 / 0.40 वाके ग्राम नंगला गौंगरा तहसील नगर को मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी, खाते अलग-अलग बहिस्सा लगान कायम किये जाकर निम्न प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे इंद्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

1. आराजी खसरा नं० 160 / 1 / 0.36 किता 01 रकबा 0.36 है० फूलसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जाट हिस्सा पूर्ण सा. नगंला गौंगरा खातेदार हिस्सा 3 / 5 राहिन पजांब नेशनल बैंक शाखा वेर्ड।
2. आराजी खसरा नं० 160 / 2 / 0.04 किता 01 रकबा 0.04 है० ओमवती पत्नी लक्ष्मन, महाराज सिंह, रामहंस पिसरान लक्ष्मन, बबीता, कविता पुत्रीयान लक्ष्मन बहिस्सा बराबर 1 / 2 हिस्सा, श्यामलाल पि० छन्नू 1 / 2 हिस्सा जाति जाट सा. नगंला गौंगरा खातेदार।

नक्शे मे तरमीम निम्नानुसार की जावे।

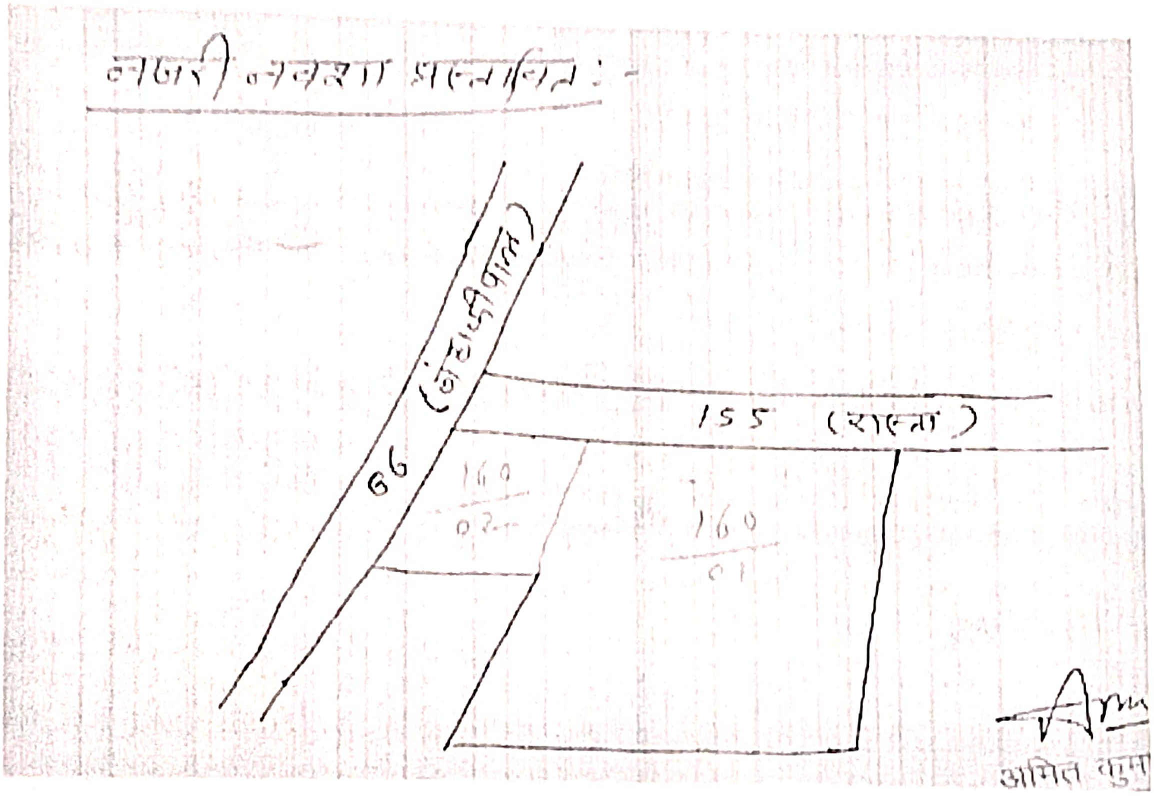

डिक्री बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.08.2025 को जारी की गयी।

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
सहायक कलक्टर
नगर (डीग)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज०